

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2298
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत कार्ड

†2298. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि अस्पताल आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) गुजरात सहित देश में ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुरुपयोग और कुप्रयोग के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति पर संचालित की जाती है और इसके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में इस योजना में होने वाली विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। एक सुदृढ़ धोखाधड़ी-रोधी तंत्र स्थापित किया गया है और एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत दुरुपयोग और कुप्रयोग की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के प्राथमिक उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (एनएएफयू) की स्थापना की गई है।

गुजरात सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार धोखाधड़ी करने वाली इन संस्थाओं के विरुद्ध 1114 अस्पतालों को पैनल से बाहर करने, 1504 दोषी अस्पतालों पर 122 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने तथा 549 अस्पतालों को निलंबित करने सहित समुचित कार्रवाई की गई है।
